8/5/2024 पत्रावली पेश हुई। बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र सुनी जा चुकी है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 168 रकबा 0.55, 170 रकबा 0.71, 178 रकबा 0.72 कित्ता-3 रकबा 1.98 हैक्टे. वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई आराजी प्रार्थी द्वारा जरिये बयनामा क्रय की गई थी। उक्त बयनामा के समय प्रार्थी का मुंहबोला नाम शमशेर सिंह था तथा उसी नाम से प्रार्थी की बनी सरपरस्त दादी राजकली पत्नि राजवीर सिंह ने उक्त आराजी का बयनामा करा लिया। लेकिन सभी दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैनकार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम दीपक सिंह है। अतः प्रार्थी अपने नाम शमशेर सिंह के स्थान दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दीपक सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2074-2077, राशन कार्ड, मार्कशीट सैकण्डरी एवं सी. सैकण्डरी, आधार कार्ड हाल निवासी होडल पलवल, हरियाणा, ड्राइविंग लाइसेन्स, शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये।

हमने बहस को सुना, उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया से पाया तथा तहसीलदा[illegible] के पत्रांक 371 दिनांक 07[illegible]2024 का [illegible]लोकन किया तो पाया आराजी [illegible] 168, 170, 179 शमशेर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह नि. मालपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहo हाल आबाद वल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद ~~राज्य~~ हरियाणा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने जरिये रजि. बयनामा दिनांक 30.06.06 ~~को~~ रामदयाल पुत्र गोपालदास कौम वैश्य सा. सौरोल से शमशेर सिंह पुत्र सुखवीर जाति जाट नाबालिग सरपरस्त वली दादी खुद के नाम क्रय किया। उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दीपक व शमशेर सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः शमशेर सिंह के स्थान पर दीपक सिंह किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम शमशेर सिंह के स्थान पर दीपक सिंह दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner